#shahjahanpurpol

प्रेस नोट

सराहनीय कार्य दिनांक 05.09.23

थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा शातिर चोर को चोरी की गयी एक अदद बैटरी 12 बोल्ट एमरान कम्पनी के साथ किया गिरफ्तार

दिनांक 12.08.2023 को वादी श्री धीरज कुमार पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम बहादुरपुर बुजुर्ग थाना पुवाया शाहजहांपुर (वर्तमान ग्राम प्रधान) ने थाना कार्यालय मे आकर एक किता तहरीर आँगनवाडी केन्द्र ग्राम बहादुरपुर बुजुर्ग का ताला तोडकर बच्चों के खिलौने व एक किट पंखा ,एक चिमटा, व गाँव के रोड की इण्टर लाकिंग ईट व ग्राम पंचायत की ढेली व 03 पहिया जल निगम द्वारा निर्मित पानी की टंकी का ताला तोडकर बायरिंग ध्वस्त कर देने व जनरेटर का बैटरा गाँव के अमन पुत्र विश्वनाथ सिंह आदि के द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे पंजीकृत कराया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री नरगेश कुमार के द्वारा सम्पादित की जा रही थी।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर श्री अशोक कुमार मीणा के कुशल निर्देशन, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री संजीव कुमार वाजपेयी व क्षेत्राधिकारी पुंवायाँ श्री पंकज पंत के कुशल प्रयवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार राय के नेतृत्व मे माल व मुल्जिमान की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी।

आज दिनांक 05.09.2023 को थाना पुवायाँ पुलिस को मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि आपके मुकदमे से संबंधित अभियुक्त अमन पुत्र विश्वनाथ निवासी ग्राम बहादुरपुर बुजुर्ग थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर चोरी का माल लिए नगरिया प्रयागपुर-पटई मार्ग पर जिन्द बाबा मजार के पास खडा है जो कही जाने की फिराक मे है। यदि जल्दी की जाये तो पकडा जा सकता है। जिस सूचना के आधार पर थाना पुवायाँ पुलिस के द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करके उस व्यक्ति को जिन्द बाबा मजार से करीब 20 मीटर पटई की ओर जाने वाली पक्की सडक पर पकड लिया। पकडे जाने पर नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो इसने अपना नाम अमन पुत्र विश्वनाथ निवासी ग्राम बहादुरपुर बुजुर्ग थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर बताया व इसकी जामा तलाशी पर इसके लोअर की बायी की जेब से 100-100 के दो नोट कुल 200 रूपये नकद व एक अदद बैटरी 12 बोल्ट एमरान कम्पनी की बरामद हुई। इस व्यक्ति से भागने का करण पूछा तो इसने बताया कि साहब मेरे खिलाफ पुवायां थाने पर मुकदमा लिखा हुआ है। अभियुक्त अमन को उसके जुर्म धारा 457/380/411 भादवि से अवगत कराते हुए समय 8.35 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। बरामदा माल एक अदद बैटरी 12 बोल्ट एमरान कम्पनी को एक प्लास्टिक के कट्टे मे रखकर सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया तथा बरामदा माल को नियमानुसार कब्जे पुलिस मे लिया गया। माल मुल्जिमान को थाने लाकर थाना हाजा पर दाखिल कर आग्रिम विधिक कार्यवाही मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. अमन पुत्र विश्वनाथ निवासी ग्राम बहादुरपुर बुजुर्ग थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 28 वर्ष

पंजीकृत अभियुक्त

1.598/2023 धारा 457/380/411 भादवि थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 श्री नरगेश कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2. हे0का0 336 जीतेन्द्र कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
3. हे0का0 500 श्री प्रकाश थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर